



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2015/भाद्र 20, 1937

No. 559]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2015/BHADRA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 693(अ).—केंद्रीय सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), (ञ), (ञ)(ञ), (ञ)(ञ)(ञ) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में नियम 9क में, उपनियम (1) में, "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 5/2015/पी. 12011/5/2011-एस.ओ. (ई.एस. सैल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण - मूल नियम सं. सा.का.नि. 444 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 717 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सं. सा.का.नि. 389 (अ), तारीख 24 मई, 2007, सं. सा.का.नि. 816 (अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सं. सा.का.नि. 76 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2010 सं. सा.का.नि. 508 (अ), तारीख 16 जून, 2010 और सं. सा.का.नि. 980(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सं. सा.का.नि. 481 (अ), तारीख 24 जून, 2011, सं. सा.का.नि. 576 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सं. सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015 और सं. सा.का.नि. 544 (अ), तारीख 7 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2015

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 9A, in sub-rule (1), for the words "thirty days", the words "ninety days" shall be substituted.

[Notification No. 5 / 2015/P.12011/5/2011-S.O.(ES Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011, number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015 and number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015.